छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में आयोजित
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय 'कुलपति सम्मेलन'

(दिनांक 10 फरवरी, 2018 पूर्वाह्न 11:00 बजे)

पर

श्री राम नाईक जी

माननीय कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय एवं
श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

का

उद्बोधन

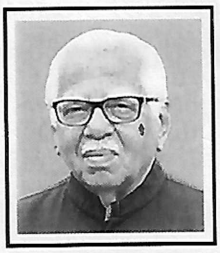

राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे कुलपतिगण, निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, राज्यपाल की प्रमुख सचिव, सुश्री जूथिका पाटणकर, उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/उनके प्रतिनिधिगण तथा सभागार में उपस्थित अन्य अधिकारीगण आप सभी का आज के इस कुलपति सम्मेलन में अभिनन्दन है। नव नियुक्त कुलपति प्रो0 महरुख मिर्जा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ का उनके प्रथम कुलपति सम्मेलन में विशेष रूप से स्वागत है।

उच्च शिक्षा को सुव्यवस्थित ढंग से पटरी पर लाने की दिशा में उठाये गये विभिन्न कदमों की श्रृंखला में आज के कुलपति सम्मेलन में हम सभी इसके निमित्त विचार–विमर्श हेतु एकत्रित हुए हैं। मेरा मानना है कि राजभवन एवं विशेष रूप से लखनऊ से बाहर इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किये जाने से सम्बन्धित विश्वविद्यालय को अपनी उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं की समीक्षा करने तथा उनको अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। साथ ही ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से विश्वविद्यालय परिवार अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है तथा समाज में उनकी अच्छी छवि उभरकर आती है। लखनऊ से बाहर 09 जनवरी, 2016 को वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर तथा 30 जुलाई, 2017 को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के परिसर में आयोजित किये गये कुलपति सम्मेलनों की स्थानीय लोगों द्वारा सराहना भी की गयी।

समाज में यह आम धारणा व्याप्त है कि उत्तर प्रदेश विशेष रूप से छात्राओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा है किन्तु आप सभी द्वारा दी गयी सूचनाओं को देखने से यह उभर कर आया कि विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोहों में 15,60,375 उपाधियाँ प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं में 51 प्रतिशत छात्राएं थीं। यदि हम छात्राओं के प्रदर्शन की बात करें तो कुल 1653 पदकों में से 1085 अर्थात् 66 प्रतिशत पदकों पर छात्राओं ने कब्ज़ा किया है। छात्राओं

का उत्कृष्ट प्रदर्शन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा शुरू किये गये 'सर्व शिक्षा अभियान' तथा वर्तमान प्रधानमंत्री मा0 श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की ओर उठाये जा रहे कदमों का प्रतिफल प्रतीत होता है, क्योंकि समाज का नज़रिया बदला है और 'बेटा बेटी एक समान' की परिकल्पना साकार हो रही है तथा आज हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता निरन्तर बढ़ रही है जो एक शुभ संदेश है। समाज के विकास में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का मूल श्रेय विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं को जाता है जिसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं।

यह सर्वविदित है कि शिक्षा की गुणवत्ता में शिक्षक एवं छात्रों का अनुपात मानक नितान्त महत्वपूर्ण होता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर 52 प्रतिशत प्राध्यापक, 36 प्रतिशत सह प्राध्यापक एवं 25 प्रतिशत सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों को भरने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय के रूप में रखने का निर्णय लिया गया है। यह पठन–पाठन के कार्य तथा शैक्षिक सत्र को समय से सम्पन्न कराने में श्रेयस्कर होगा।

छात्र : शिक्षक अनुपात के सन्दर्भ में गत माह सभी विश्वविद्यालयों से जानकारी प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालयों के कैम्पस में छात्र : शिक्षक अनुपात प्रति शिक्षक 42 विद्यार्थियों का है। विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में यह अनुपात प्रति शिक्षक 44 विद्यार्थियों का है। हाँलांकि यह भी उल्लेखनीय है कि यह अनुपात विभिन्न विश्वविद्यालयों में अलग–अलग है जैसा कि सामान्य विश्वविद्यालयों के कैम्पस में जहाँ यह अनुपात प्रति शिक्षक 67 विद्यार्थियों का है, वहीं इनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में यह अनुपात प्रति शिक्षक 51 विद्यार्थियों का है। यह अनुपात 14 विद्यार्थी प्रति शिक्षक वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर में सबसे कम तथा 137 विद्यार्थी प्रति शिक्षक दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में सबसे अधिक है। यदि हम विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्र : शिक्षक के अनुपात की बात करें तो सबसे कम अर्थात् 20 विद्यार्थी प्रति शिक्षक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध महाविद्यालयों में है और सर्वाधिक 103 विद्यार्थी प्रति शिक्षक जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से सम्बद्ध महाविद्यालयों में हैं। चूँकि उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद दूरस्थ विद्या में शिक्षा प्रदान करता है, अतः इनके छात्र : शिक्षक के अनुपात का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। प्राविधिक विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय में भी छात्र : शिक्षक अनुपात प्रति अध्यापक 40 से अधिक नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह अनुपात प्रति शिक्षक 35 से 40 विद्यार्थी उचित माना गया है। अतः इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थिति बहुत खराब नहीं दिखती है, किन्तु शिक्षा की गुणवत्ता में इसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। इसलिए हमें इस सन्दर्भ में गहन समीक्षा करते हुए प्रभावी कदम उठाने होंगे।

इस प्रकार के सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श कर सैद्धांतिक निर्णय लिया जाना तथा पूर्व निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा किया जाना होता है। गत कुलपति सम्मेलनों में मुख्य रूप से निम्न निर्णय लिये गये थे–

1. ई–गवर्नेंस के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा कृत कार्यवाही।
2. वेब साइट के अपग्रेडेशन की अद्यतन स्थिति।

3. विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठकों की रिकार्डिंग की स्थिति।
4. विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने के संदर्भ में की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति।
5. वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा आयोजित किये जाने वाले विशिष्ट व्याख्यान कार्यक्रमों की प्रगति।
6. विश्वविद्यालयों द्वारा परिनियमावली एवं अध्यादेशों में व्यवस्था की प्रक्रिया अपनाये बगैर ही नवीन पाठ्यक्रमों का संचालन।
7. शोध कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने की दिशा में किये गये प्रयासों पर चर्चा।

उपरोक्त निर्णयों के अनुपालन में अभी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। मेरे द्वारा निरन्तर विश्वविद्यालयों की वेबसाइट अपग्रेड करने, विश्वविद्यालयों के दूरभाष एवं ई–मेल के प्रभावी ढंग से कार्य करने, समस्याओं के निराकरण हेतु कुलपतिगण द्वारा विद्यार्थियों, कर्मियों एवं जनमानस से मिलने हेतु समय नियत करने, राजभवन से मांगी जाने वाली सूचनाओं हेतु अनेकानेक अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी समय के अन्दर आख्याएं उपलब्ध न कराना (विशेष रूप से विश्वविद्यालय अधिनियमों की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत प्रकरणों में), बिना परिनियमों में समाहित किये पाठ्यक्रमों के संचालन आदि के सम्बन्ध में निर्देशों के बाद भी तत्परता से कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल सुश्री जूथिका पाटणकर से अपेक्षा करता हूँ कि मेरे अभिभाषण के उपरान्त विभिन्न निर्णयों पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी उसकी विस्तृत समीक्षा करें।

आप सभी इस सत्र की परीक्षाओं को सम्पादित कराने की कार्य योजना तैयार कर रहे होंगे। परीक्षाओं को सम्पन्न कराने में नकल एक बड़ी चुनौती है और स्व परीक्षा केन्द्रों का इसमें बहुत बड़ा योगदान देखने में आता है। मुझे अपेक्षा है कि आप नकलविहीन परीक्षा कराने हेतु कठोर कदम उठायेंगे तथा परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य में अधिकाधिक पारदर्शिता के लिए यथा सम्भव सी0सी0टी0वी0 प्रणाली का प्रभावी उपयोग करेंगे। परीक्षाओं के समय से परिणाम घोषित होने चाहिए और उसके बाद विद्यार्थियों को अंकतालिकाएं एवं उपाधियाँ भी समय से प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए आप यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि छात्रों को अंकतालिकाएं शीघ्रातिशीघ्र विश्वविद्यालयों की वेबसाइट से प्रिंट हो सकें। इस दिशा में यह भी आवश्यक है कि हम छात्रों को उपाधियाँ भी ससमय उपलब्ध करा दें।

गत वर्षों में दीक्षान्त समारोहों के आयोजनों के अवसर पर यह पाया गया कि पूर्व में दीक्षान्त समारोह नियमित रूप से न होने से छात्र/छात्राओं को उपाधियाँ मिलने में विलम्ब होता है। यह स्थिति वांछनीय नहीं है। मेरे कार्यकाल में गत 04 वर्षों में सभी विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह नियमित रूप से किये गये हैं। अतः आवश्यक है कि सत्र 2018–19 के दौरान होने वाले दीक्षान्त समारोह की कार्य योजना हम अभी से तैयार करें। कुलाधिपति कार्यालय द्वारा सत्र 2018–19 के दीक्षान्त समारोह हेतु तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है, अतः आप कृपया यथाशीघ्र इसकी पुष्टि करायेंगे, यह आप सभी से मेरी अपेक्षा है। आगामी दीक्षान्त समारोहों को 15 नवम्बर, 2018 के पूर्व पूर्ण किया जाना मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि गत वर्षों में कोहरे एवं मौसम खराब होने से मुझे कार्यक्रमों में समय पर उपस्थित होने में कठिनाई हुई थी। कुछ कार्यक्रम की तिथियों को भी बदलना पड़ा था।

गत वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोहों के अवसर पर यह देखने को मिला कि कार्यक्रमों के आयोजन में भिन्नता होती है और जिसके कारण कई बार सुगमतापूर्वक कार्यक्रम को सम्पादित कराने में कठिनाई हुई। उक्त को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा प्रो0 अनिल शुक्ला,

कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की अध्यक्षता में एक 05 सदस्यीय समिति गठित की गयी थी जिसकी रिपोर्ट आप सभी के विचारार्थ प्रेषित की गयी है।

विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली पारदर्शी होने के साथ–साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षण प्रदान करने वाली होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से मेरे द्वारा पूर्व के सम्मेलनों में भी छात्रसंघों के चुनाव/गठन की आप लोगों से अपेक्षा की जाती रही है। कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा इस दिशा में आवश्यक कदम भी उठाये गये हैं किन्तु जिन विश्वविद्यालयों में अभी भी छात्रसंघों के चुनाव/गठन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है उनसे अपेक्षा करता हूँ कि लिंगदोह समिति की संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह कार्यवाही शैक्षिक सत्र 2018–19 के प्रारम्भिक माहों में किया जाना श्रेयस्कर होगा।

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सन्दर्भ में तरह–तरह की समस्याएं प्राप्त होती रही हैं। शासन द्वारा इनके निराकरण के निमित्त समय–समय पर कई कदम भी उठाये गये हैं। किन्तु अभी भी मुझे प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों से ऐसा लगता है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे स्ववित्तपोषित कार्यक्रम के तहत प्रारम्भ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की औचित्यता की गहन समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। फीस निर्धारण की प्रक्रिया एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तों आदि के सम्बन्ध में अभी भी स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है। आज शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव एवं उनके प्रतिनिधिगण तथा कुलपतिगण मौजूद हैं जो इस प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श कर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे जिस पर शासन स्तर से यथानुसार शासनादेश जारी किये जा सके।

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के कतिपय प्रावधानों के विरोधाभासी होने तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संशोधन किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी तथा इस सन्दर्भ में पूर्ववर्ती सरकार से अधिनियम में संशोधन की अपेक्षा भी की गयी थी, किन्तु वर्तमान सरकार द्वारा इसके निमित्त कुलाधिपति के विधिक सलाहकार श्री एस0एस0 उपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है जो विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श कर संशोधित प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा कि विश्वविद्यालयों से निरन्तर बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों, विशेष रूप से विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में विद्यमान व्यवस्था के तहत प्रेषित प्रत्यावेदनों के निस्तारण में लगने वाले अत्यधिक समय को ध्यान में रखते हुए देश के अन्य राज्यों में विद्यमान प्रक्रिया तथा उच्च शिक्षा की प्रबन्धन प्रणाली के अध्ययन हेतु प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल सुश्री जूथिका पाटणकर के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों का अध्ययन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अध्ययन के आधार पर तैयार की गयी रिपोर्ट मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश को तथा विधिक परामर्शदाता, श्री राज्यापाल की अध्यक्षता में गठित समिति के अध्यक्ष को विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है तथा शेष राज्यों के भ्रमण के उपरान्त तैयार होने वाली रिपोर्ट की संस्तुतियाँ विश्वविद्यालय के बेहतर प्रबन्धन एवं कार्य–प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने में सहायक सिद्ध होंगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की बैठक के विचार मंथन के उपरान्त उभरे निष्कर्षों से प्रदेश की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने में साबित होगी।

धन्यवाद।

* * * * *